NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-03-2025

विषय सूची

'एक व्यक्ति, एक परिवार' संस्कृति के बढ़ने की चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
भारत में डिजिटल जुए का नकारात्मक पक्ष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी
भारत में बाल श्रम के मुद्दे पर नया अध्ययन NCRB से भिन्न है
राष्ट्रीय जीन बैंक

संक्षिप्त समाचार

राणा सांगा
म्यांमार में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं?
लोकसभा ने समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक पारित किया
भारत का कॉफ़ी उत्पादन
चालू खाता घाटा(CAD)
कपास के उत्पादन में भारत पिछड़ गया
कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना
कवक की 1,000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में: IUCN

'एक व्यक्ति, एक परिवार' संस्कृति के बढ़ने की चिंता: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है, तथा 'एक व्यक्ति, एक परिवार' की संस्कृति के उदय पर प्रकाश डाला है, जो भारत के सांस्कृतिक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम - 'विश्व एक परिवार है' के बिल्कुल विपरीत है।

परिवार क्या है?

- परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। यह समाजीकरण की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करता है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, पहचान और मूल्यों को गहराई से प्रभावित करता है।
- भारतीय समाज में, परिवार ने पारंपरिक रूप से एक केंद्रीय स्थान रखा है - न केवल रिश्तेदारी की इकाई के रूप में, बल्कि एक नैतिक, भावनात्मक और आर्थिक स्थायित्व के रूप में भी। इसने भावनात्मक सुरक्षा, पीढ़ीगत ज्ञान एवं सामाजिक अनुशासन प्रदान करते हुए पारस्परिक गतिशीलता को आकार दिया है।

'एक व्यक्ति, एक परिवार' संस्कृति का उदय

- भारत, जो पारंपरिक रूप से अपनी मजबूत संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए जाना जाता है, पारिवारिक संरचनाओं में नाटकीय परिवर्तन देख रहा है।
- **'एक व्यक्ति, एक परिवार'** संस्कृति में, व्यक्ति अकेले या एकल सेटअप में रहना पसंद करते हैं, जो बदलती सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक आकांक्षाओं और बदलती व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- यह शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जहाँ युवा पेशेवर, उद्यमी और यहाँ तक कि बुजुर्ग व्यक्ति भी बड़े, अन्योन्याश्रित घरों की तुलना में एकांत या छोटे-परिवार के ढाँचे को चुन रहे हैं।

बदलाव के मुख्य कारण

- **तेजी से शहरीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता:** भारत के महानगरीय शहर वैश्विक आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं; पेशेवर लोग प्रायः स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हुए शहरी केंद्रों में चले गए हैं।
  - डेटा से पता चलता है कि मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में एकल-व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है।
- **बदलती आकांक्षाएँ और व्यक्तिवाद:** आधुनिक समय में, युवा व्यक्तिगत विकास, कैरियर की महत्वाकांक्षाओं और आत्म-विकास को प्राथमिकता देते हैं; व्यक्तिवाद के उदय ने प्राथमिकताओं को पारिवारिक कर्तव्य से व्यक्तिगत पूर्ति में बदल दिया है।
  - पारंपरिक पदानुक्रमित पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती दी जा रही है।
- **विलंबित विवाह और बदलते संबंध मानदंड:** कई शहरी भारतीय विवाह में देरी कर रहे हैं, और लिव-इन रिलेशनशिप, एकल अभिभावक और अविवाहित रहने का विकल्प जैसे रुझान समाज में अधिक स्वीकार्य हो रहे हैं।
  - कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 (प्रतिस्थापन स्तर से नीचे) तक गिर गई है, जो बदलती पारिवारिक संरचनाओं को दर्शाती है।
- **आर्थिक दबाव:** जीवन यापन की बढ़ती लागत और आधुनिक जीवन की माँग की गति प्रायः संयुक्त परिवार में रहना अव्यावहारिक बना देती है।
- **पश्चिमी जीवनशैली का प्रभाव:** सोशल मीडिया, शिक्षा और विदेशों में रोजगार ने भारत में जीवनशैली विकल्पों को प्रभावित किया है।
- **नैतिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट:** बढ़ते व्यक्तिवाद और भौतिकवाद ने सहानुभूति, सम्मान, ईमानदारी और त्याग जैसे गुणों पर कम बल दिया है - जो सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक हैं।

'एक व्यक्ति, एक परिवार' प्रवृत्ति की चुनौतियाँ

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** अकेलापन और अलगाव व्यक्तियों, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों और दूर से काम करने वाले पेशेवरों को प्रभावित कर सकता है।

- **वित्तीय दबाव:** अकेले किराए, उपयोगिताओं और दैनिक व्ययों का प्रबंधन करना महंगा हो सकता है।
- **पारिवारिक बंधनों में गिरावट:** इस बदलाव के कारण अंतर-पीढ़ीगत संबंध कमज़ोर हो सकते हैं और सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना कम हो सकती है।

निष्कर्ष

- '1 व्यक्ति, 1 परिवार' संस्कृति के बारे में उच्चतम न्यायालय की चिंताएँ समाज के लिए एक चेतावनी है कि वह उन मूल्यों पर विचार करे जो पारिवारिक रिश्तों को आधार प्रदान करते हैं।
- जबकि कानूनी ढाँचे विशिष्ट विवादों को संबोधित कर सकते हैं, परिवारों के अन्दर सहानुभूति, सम्मान और एकता की संस्कृति को बढ़ावा देना राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

Source: ET

भारत में डिजिटल जुए का नकारात्मक पक्ष

संदर्भ (केस स्टडी)

- ऑनलाइन जुआ पूरे भारत में युवाओं की जान ले रहा है, जिसमें 21 वर्षीय साई किरण जैसी विनाशकारी कहानियाँ शामिल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन जुए के कारण लिए गए ऋण से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।

ऑनलाइन जुए में वृद्धि: चिंताजनक प्रवृत्ति

- भारत का ऑनलाइन कौशल-गेमिंग बाजार 3 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है, लेकिन अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी का बाजार वार्षिक 20-30 बिलियन डॉलर के बीच है। कुछ अनुमान इसे 100 बिलियन डॉलर तक भी बताते हैं।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चे प्रतिदिन ऑनलाइन जुए पर 1,000 डॉलर से अधिक व्यय करते हैं।
  - दक्षिण भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 19.5% कॉलेज छात्र जुआ खेलते हैं, जिनमें से 7.4% में लत के लक्षण दिखाई देते हैं।
- IPL जैसे लोकप्रिय खेल आयोजनों के दौरान, अवैध सट्टेबाजी में नाटकीय रूप से उछाल आता है, जिसमें बढ़ते कर्ज और जुए की हानि से जुड़े कई आत्महत्या के मामले सामने आते हैं।

ऑनलाइन जुए में वृद्धि के प्रमुख कारण

- **स्मार्टफोन का प्रचलन और डिजिटल भुगतान:** 600 मिलियन से अधिक भारतीय स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और सहज UPI लेन-देन के साथ, जुए के प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच अविश्वसनीय रूप से आसान हो गई है।
- **आक्रामक डिजिटल मार्केटिंग:** बेटिंग ऐप अपने रेवेन्यू का 50% तक इन्फ़्लुएंसर प्रमोशन और डिजिटल विज्ञापनों पर व्यय करते हैं। सेलिब्रिटी और इन्फ़्लुएंसर इन ऐप्स का प्रचार करते हैं, जो प्रायः फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स या गेम रिव्यू के नाम पर होते हैं, और बेख़बर यूज़र्स को लुभाते हैं।
- **बिना चेक के तुरंत लोन:** प्लेटफ़ॉर्म और संबंधित लोन ऐप बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत क्रेडिट देते हैं, जिससे यूज़र्स को बिना किसी नतीजे को समझे उधार लेने और बेट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **मनोवैज्ञानिक ट्रिगर:** ऑनलाइन जुआ इनाम पाने की चाहत को बढ़ावा देता है। यह तुरंत संतुष्टि, नज़दीकी-चूक भ्रम और एड्रेनालाईन रश प्रदान करता है, जो इसे अत्यधिक व्यसनी बनाता है, विशेषतः तेज़-इनाम वाली डिजिटल संस्कृति में पले-बढ़े युवाओं के लिए।
- **कमज़ोर प्रवर्तन और अपतटीय संचालन:** अधिकांशतः अवैध बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म कुराकाओ, साइप्रस, चीन और दुबई जैसे अपतटीय क्षेत्रों से संचालित होते हैं। वे कर संबंधी कमियों का लाभ प्राप्त करते हैं, KYC मानदंडों से बचते हैं, और उनका पता लगाना लगभग असंभव है।

ऑनलाइन जुए के निहितार्थ

- **मानसिक स्वास्थ्य संकट:** जुए की लत चिंता, अवसाद, आत्महत्या के विचार और मादक द्रव्यों के सेवन की ओर ले जाती है। कई पीड़ित चुपचाप पीड़ित रहते हैं, और कुछ, जैसे तेलंगाना में साई किरण, बढ़ते

ऋण के कारण दुखद रूप से अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।

- **वित्तीय विनाश:** उपयोगकर्त्ता प्रायः परिवार या ऋणदाताओं से उधार लेते हैं, कीमती सामान बेचते हैं, या डिजिटल ऋण पर चूक करते हैं। परिवार जीवन भर की बचत खो देते हैं, और अंतर-पीढ़ी ऋण एक वास्तविक खतरा बन जाता है।
- **साइबर अपराध और धन शोधन:** RBI के आंकड़ों के अनुसार, अवैध प्लेटफ़ॉर्म UPI, क्रिप्टो वॉलेट और म्युल खातों का उपयोग करके प्रत्येक महीने ₹2,500 करोड़ से अधिक अवैध लेनदेन करते हैं।
- **युवा भेद्यता:** "क्विक मनी" का भ्रम युवा वयस्कों को कमाने, सामाजिक स्थिति बनाए रखने या गैजेट खरीदने के दबाव में बहुत आकर्षित करता है - जिससे वे आदर्श लक्ष्य बन जाते हैं।

वर्तमान विनियम

- ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को 2023 में संशोधित किया गया था।
- गेमिंग फर्मों पर अब 28% GST लगाया जाता है, लेकिन ऑफशोर प्लेटफॉर्म इस कर को दरकिनार कर देते हैं।
- तेलंगाना गेमिंग (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया।
- GST परिषद ने 2023 में अनिवार्य किया कि ऑफशोर सट्टेबाजी कंपनियों को भारतीय कर अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए - अधिकांश ने इसे अनदेखा कर दिया है।

विनियमन कठिन क्यों है?

- अपतटीय परिचालन क्षेत्राधिकार नियंत्रण को कठिन बनाते हैं।
- "कौशल के खेल" (कानूनी) और "संभावना के खेल" (अवैध) के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर की कमी एक विनियामक ग्रे ज़ोन बनाती है।
- डिजिटल विज्ञापन खंडित और विकेंद्रीकृत है, जिससे प्रच्छन्न प्रचार पनपने की अनुमति मिलती है।
- प्रभावशाली मार्केटिंग खामियों का मतलब है कि प्रतिबंधित सामग्री को भी "खेल ब्लॉग" या "गेमिंग समीक्षा" के रूप में फिर से पैक किया जाता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट और एकीकृत कानून:** एक केंद्रीकृत कानूनी ढाँचे की सख्त जरूरत है जो स्पष्ट रूप से कानूनी कौशल गेमिंग को अवैध जुए से अलग करता है, जिसमें उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- **प्रवर्तन को मजबूत करना:** I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) जैसी एजेंसियों को निगरानी, जांच और दुष्ट ऐप्स और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अवैध अपतटीय ऑपरेटरों को रोकने और सीमा पार वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने के लिए वैश्विक एजेंसियों और सरकारों के साथ समन्वय करना।
- **डिजिटल विज्ञापन और प्रभावशाली लोगों की सख्त निगरानी:** डिजिटल विज्ञापनदाताओं के लिए सख्त KYC अनिवार्य करना, वास्तविक समय में कार्रवाई को लागू करें और अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का समर्थन करने वाले मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को दंडित करना।

Source: TH

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

परिचय

- **उद्देश्य:**

  - वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
  - क्षमता और क्षमता विकास के माध्यम से घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) बढ़ाना।
  - भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करना।
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना।
  - परिणामस्वरूप 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन।
  - 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना।
- **अवधि:** एक वर्ष की गर्भावधि के साथ छह वर्ष का कार्यकाल।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र

- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रणालियों का डिज़ाइन, निर्माण और विपणन शामिल है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाले और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।
  - चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, इसलिए इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्त्व है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र

- **घरेलू उत्पादन:** यह वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17% से अधिक की CAGR पर 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

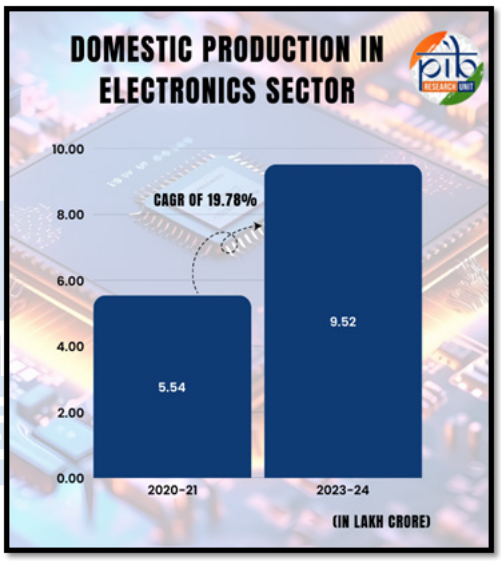

- **निर्यात:** इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात भी वित्त वर्ष 2014-15 में 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 20% से अधिक की CAGR है।
  - भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है।
- भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ने महत्त्वपूर्ण गति प्राप्त की है, जिसमें पाँच ऐतिहासिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनका कुल संयुक्त निवेश 1.52 लाख करोड़ रुपये के करीब है।
- **भविष्य के अनुमान:** यह दर्शाता है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2026 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

चुनौतियाँ

- **आयात पर निर्भरता:** आयातित घटकों, विशेष रूप से अर्धचालकों पर अत्यधिक निर्भरता, लागत और आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को बढ़ाती है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** बड़े पैमाने पर विनिर्माण और रसद के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से दक्षता में बाधा आती है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं और अनुसंधान एवं विकास के लिए कुशल श्रमिकों की सीमित उपलब्धता।
- **उच्च पूंजी निवेश:** विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे नए खिलाड़ियों के लिए प्रवेश चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **प्रौद्योगिकी की कमी:** इलेक्ट्रॉनिक मूल्य शृंखला के कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार की कमी।
- **वैश्विक अभिकर्त्ताओं से प्रतिस्पर्धा:** स्थापित वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और कम उत्पादन लागत वाले देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उछाल के लिए सरकारी योजनाएँ:

- **मेक इन इंडिया:** 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।
  - भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** 2017 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मोबाइल फोन और उनके पुर्जों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना था।
  - भारत में निवेश में वृद्धि और महत्त्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएँ स्थापित करना।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** 2020 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
  - **प्रोत्साहन:** पात्र कंपनियों के लिए वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 3% से 6%।
  - **अवधि:** 5 वर्ष।

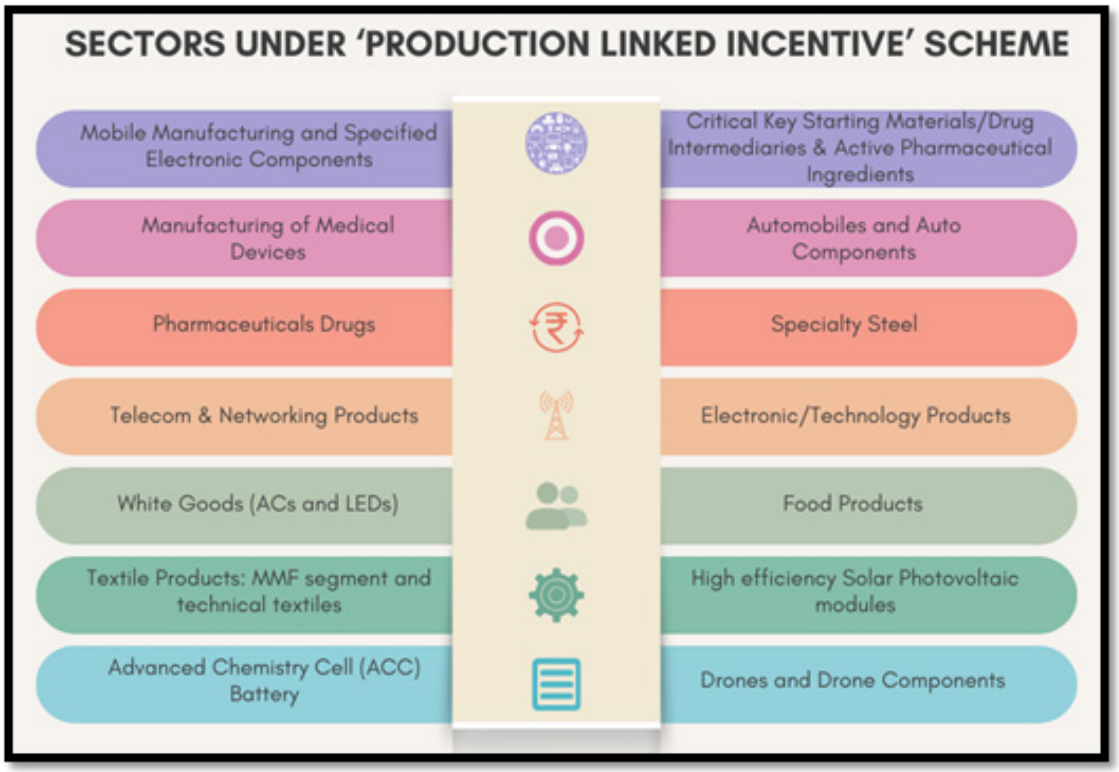

- **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:** 2021 में ₹76,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया, यह प्रोत्साहन और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
  - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, यह घोषणा की गई थी कि भारत की प्रथम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।
- **इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS):** यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य शृंखला को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- **बजट में वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवंटन ₹5,747 करोड़ (2024-25) से बढ़कर ₹8,885 करोड़ (2025-26) हो गया, जो औद्योगिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से परिवर्तन मेक इन इंडिया पहल की सफलता का प्रमाण है।
- भारत में विनिर्माण प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए कई योजनाओं के साथ, देश ने स्थानीय विनिर्माण, निर्यात और निवेश को काफी बढ़ावा दिया है।
- भारत का लक्ष्य 2026 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करना है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

Source: PIB

भारत में बाल श्रम के मुद्दे पर नया अध्ययन NCRB से भिन्न है

संदर्भ

- ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म से प्राप्त न्यायिक आंकड़ों के आधार पर एनफोल्ड और सिविकडाटालैब द्वारा बाल श्रम पर किया गया अध्ययन NCRB से भिन्न है और इसमें छह राज्यों में बाल श्रम के अधिक मामले सामने आए हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- **डेटा में विसंगति:** न्यायिक डेटा से पता चलता है कि NCRB द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में बाल श्रम के 8 गुना अधिक मामले हैं।
  - NCRB ने बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 1,329 मामले (2015-2022) रिपोर्ट किए हैं।
  - ई-कोर्ट डेटा से पता चलता है कि इसी अवधि में 9,193 मुकदमे दर्ज किए गए, जो एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है।
- **छह राज्य:** महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 10,800 बाल श्रम मामलों का विश्लेषण किया गया।
- **NCRB डेटा के साथ समस्याएँ:** NCRB "प्रमुख अपराध नियम" का पालन करता है, जिसमें कई अपराधों वाले मामलों में केवल सबसे गंभीर अपराध की गणना की जाती है।
  - बाल श्रम जैसे छोटे अपराध, अगर वे किसी बड़े आपराधिक मामले का हिस्सा हैं, तो उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता है।
- **डेटा का महत्त्व:** अपराध की प्रवृतिको समझने और बाल श्रम जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए डेटा महत्त्वपूर्ण है।
  - शोधकर्त्ताओं और शिक्षाविदों को बेहतर समाधान और नीतियाँ बनाने में सहायता करता है।

भारत में बाल श्रम का मुद्दा

- सरकारी प्रयासों के बावजूद, भारत में बाल श्रम एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
- **मूल कारण:** गरीबी और अशिक्षा, प्रभावी समाधान के लिए सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता है।
- **बाल श्रम पर सांख्यिकी**
  - **जनगणना 2001:** 25.2 करोड़ कुल बाल जनसंख्या में से 1.26 करोड़ कार्यरत बच्चे (आयु 5-14 वर्ष)।

- **जनगणना 2011:** भारत में 5-14 वर्ष की आयु के लगभग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे, जो इस आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या का 3.9% है।

- **गुरुपादस्वामी समिति:** इसका गठन 1979 में बाल श्रम का अध्ययन करने और उपाय सुझाने के लिए किया गया था।
  - पाया कि गरीबी बाल श्रम को खत्म करने में एक प्रमुख बाधा थी।
  - खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य क्षेत्रों को विनियमित करने की सिफारिश की।
  - बहु-नीति दृष्टिकोण का समर्थन किया।

समाज पर बाल श्रम का प्रभाव

- **आर्थिक विकास में बाधा:** बाल श्रम से दीर्घावधि में उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि बच्चे शिक्षा और कौशल विकास से वंचित रह जाते हैं।
- **गरीबी का स्थायीकरण:** पढ़ाई के बजाय काम करने वाले बच्चे गरीबी चक्र को जारी रखने में योगदान करते हैं, क्योंकि वयस्क होने पर उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने की संभावना कम होती है।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** श्रम में शामिल बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे भविष्य की अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।
- **सामाजिक असमानता:** बाल श्रम सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों का शोषण होने की संभावना अधिक होती है।
- **सामाजिक प्रगति को कमजोर करता है:** व्यापक बाल श्रम समाज की प्रगति को सीमित करता है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में बाधा डालता है।

भारत में बाल श्रम रोकने की चुनौतियाँ:

- **गरीबी:** परिवार प्रायः जीवित रहने के लिए बच्चों की आय पर निर्भर रहते हैं, जिससे बाल श्रम को समाप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **शिक्षा तक पहुँच की कमी:** खराब बुनियादी ढाँचा और सीमित स्कूल, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं।
- **सांस्कृतिक स्वीकृति:** कुछ क्षेत्रों में, बाल श्रम को सामान्य माना जाता है और इसे पारिवारिक परंपरा या आजीविका के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
- **सीमित जागरूकता:** बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में परिवारों, नियोक्ताओं और समुदायों में जागरूकता की कमी।
- **आर्थिक शोषण:** कपड़ा, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में सस्ते श्रम की माँग बच्चों का शोषण करती रहती है।
- **प्रवास:** शहरी क्षेत्रों में प्रवासी परिवार प्रायः अस्थिरता और शिक्षा तक पहुँच की कमी के कारण बच्चों को कार्य पर लगा देते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- **मौलिक अधिकार:**
  - **अनुच्छेद 21A:** राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
  - **अनुच्छेद 24:** खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत:**
  - **अनुच्छेद 39(e):** बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाता है।
  - **अनुच्छेद 39(f):** गरिमा और स्वतंत्रता की स्थिति में बच्चों के विकास को सुनिश्चित करता है।

विधायी कार्यवाहियाँ

- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986:** खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध तथा अन्य क्षेत्रों में विनियमित कार्य।
  - **संशोधन (2016):** सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।
    - किशोरों (14-18 वर्ष) को भी खतरनाक रोजगारों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया।

- **बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति (1987):** क्रमिक और अनुक्रमिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - बच्चों और किशोरों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):** उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में श्रम से बचाए गए बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करती है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें कार्यबल से बाहर रखना है।
- **मध्याह्न भोजन योजना:** निःशुल्क भोजन प्रदान करके स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करती है, जिससे बच्चों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कम मिलता है।
- **श्रम निरीक्षण और छापे:** राज्य सरकारें उद्योगों में बाल श्रम की पहचान करने और उसे रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और छापे मारती हैं।
- **एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS):** बाल श्रम सहित शोषण एवं दुर्व्यवहार के जोखिम वाले बच्चों के लिए सहायता और पुनर्वास प्रदान करती है।

Source: IE

राष्ट्रीय जीन बैंक

समाचार में

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के एक भाग के रूप में "नवाचारों में निवेश" विषय के अंतर्गत दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा की है।

जीन बैंक क्या है?

- जीन बैंक एक जैव-भंडार है जो पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों, विशेष रूप से बीजों, ऊतकों और DNA की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है।
- फसलों के मामले में, इसमें जर्मप्लाज्म (बीज जैसे व्यवहार्य पौधे सामग्री) का नियंत्रित परिस्थितियों में भंडारण शामिल है ताकि उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

बैंक का प्रकार	यह क्या संग्रहीत करता है	उदाहरण
बीज बैंक	नियंत्रित परिस्थितियों में बीज	ICAR-NBPGR, नई दिल्ली
फील्ड जीन बैंक	खेत में जीवित पौधों का रखरखाव	आम जैसी बारहमासी फसलों के लिए
क्रायोबैंक	अत्यंत कम तापमान पर संग्रहीत आनुवंशिक सामग्री (उदाहरण के लिए, तरल नाइट्रोजन में -196°C)	DNA, पराग, भ्रूण
DNA बैंक	शुद्ध DNA नमूने	आनुवंशिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है
इन विट्रो बैंक	पोषक माध्यमों में संग्रहित पादप ऊतक	ऊतक संवर्धन

आवश्यकता

- नए NGB का लक्ष्य 10 लाख फसल जर्मप्लाज्म का संरक्षण करना है।
- इन आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग फसल सुधार और आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- नए जीन बैंक में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा और इसका उद्देश्य भारत की संरक्षण क्षमता का विस्तार करना है।
- भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?

- प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) में स्थित है।
- प्रथम NGB विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, जिसमें 2,157 प्रजातियों के 4,71,561 अभिगम हैं।

Source: DD News

संक्षिप्त समाचार

राणा सांगा

संदर्भ

- हाल ही में एक सांसद द्वारा राजपूत शासक राणा सांगा को "देशद्रोही" करार दिए जाने से उनकी भूमिका की ऐतिहासिक व्याख्याओं, विशेषकर इस दावे पर विवाद छिड़ गया है कि उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था।

पानीपत का प्रथम युद्ध

- लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और मध्य एशिया के तैमूर सरदार ज़हीर-उद-दीन बाबर के बीच लड़ा गया युद्ध।
- संख्या में कम होने के बावजूद (बाबर के पास 12,000 सैनिक थे जबकि इब्राहिम के पास अनुमानित 1 लाख), बाबर ने बेहतरीन रणनीति और तोपखाने के प्रयोग से निर्णायक जीत प्राप्त की।
- इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत के लोदी शासन (1451 में बहलुल लोदी द्वारा स्थापित) के अंत और भारत में मुगल शासन की शुरुआत को चिह्नित किया।

राणा सांगा (1482-1528)

- महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाने जाने वाले, वे मेवाड़ के राजपूत राजा थे (जिन्होंने 1508 से 1528 तक शासन किया) और दिल्ली सल्तनत के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए विभिन्न राजपूत वंशों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं।
- उनका राज्य वर्तमान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी।
- वे कला और साहित्य के संरक्षक थे, उन्होंने कई कलाकारों और कवियों का समर्थन किया, जिनमें प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी भी शामिल थे, जिन्होंने महाकाव्य पद्मावत लिखा था।
- **सैन्य कैरियर:** उनकी सबसे उल्लेखनीय लड़ाई 1527 में खानवा में बाबर के खिलाफ थी, जहाँ उनका लक्ष्य मुगलों को भारत से खदेड़ना था।
  - बाबर के बेहतर तोपखाने के कारण हार का सामना करने के बावजूद, राणा सांगा अपने साहस और एकजुट राजपूताना की दृष्टि के लिए भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं।

Source: TH

म्यांमार में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं?

संदर्भ

- मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया तथा कम से कम छह झटके महसूस किये गये।

परिचय

- यह विगत 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली भूकंप था।
  - यह एक उथला भूकंप था, जिसकी गहराई केवल 10 किमी थी।
  - इसका केंद्र लगभग 1.5 मिलियन लोगों की जनसंख्या वाले महानगर मांडले से 17.2 किमी दूर स्थित था।
- **प्रभावित क्षेत्र:** थाईलैंड (बैंकॉक),
  - पूर्वोत्तर भारत - झटके महसूस किए गए, किसी के हताहत होने या महत्त्वपूर्ण क्षति की सूचना नहीं है।
- **शामिल टेक्टोनिक प्लेट:** भारतीय प्लेट (पश्चिम) और यूरेशियन प्लेट (पूर्व)।
- **भूकंप का कारण:** टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे से खिसकती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में संग्रहित ऊर्जा निकलती है।
  - म्यांमार भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच "स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग" के कारण हुआ, जिसका अर्थ है कि ये दोनों प्लेट एक-दूसरे से टकराती हैं।
  - म्यांमार में प्रायः भूकंप आते हैं, विशेषतः सागाइंग फॉल्ट के साथ।
  - यह म्यांमार के केंद्र से उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है, और भूकंप के लिए प्रवण है।

- 1900 के बाद से, सागाइंग फॉल्ट के पास 7 से अधिक तीव्रता वाले कम से कम छह भूकंप आए हैं।

- **म्यांमार में पिछले महत्त्वपूर्ण भूकंप:**
  - **1839:** तीव्रता 8.3, अनुमानित 300-400 मृत्यु।
  - **1990:** तीव्रता 7, 32 इमारतें ढह गईं।
  - **1912:** तीव्रता 7.9, हाल ही में भूकंप के केंद्र के पास।
  - **2016:** तीव्रता 6.9।

Source: IE

लोकसभा ने समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक पारित किया

समाचार में

- लोकसभा ने समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है, जो लगभग एक सदी पुराने भारतीय समुद्र द्वारा माल परिवहन अधिनियम, 1925 का स्थान लेगा।

परिचय

- यह विधेयक भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है, जो पीएम गति शक्ति और सागरमाला जैसी पहलों के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
- यह भारत के समुद्री कानून को हेग-विस्बी नियमों जैसे वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करता है, जिससे वाहकों की जिम्मेदारियों, अधिकारों, देनदारियों और प्रतिरक्षा पर स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
- यह जटिल कानूनी शब्दावली को सरल बनाता है और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हितधारकों के लिए निश्चितता प्रदान करता है।

Source: TH

फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन

समाचार में

- भारतीय सेना ने एंटी टैंक कामिकेज़ पेलोड से लैस स्वदेशी फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है।

फ़र्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन के बारे में

- **परिभाषा:** FPV ड्रोन दूर से संचालित विमान हैं जो ऑनबोर्ड कैमरे से ऑपरेटर के चश्मे या स्क्रीन पर वास्तविक समय की वीडियो फ़ीड संचारित करते हैं, जिससे ड्रोन के परिप्रेक्ष्य का फर्स्ट पर्सन व्यू मिलता है।
- **उद्देश्य:** विशेष रूप से सामरिक या लड़ाकू मिशन, रेसिंग, निगरानी और टोही के लिए सटीक नेविगेशन और नियंत्रण प्रदान करता है।

महत्त्व

- ये ड्रोन उच्च मूल्य वाली दुश्मन संपत्तियों, जैसे टैंकों को निष्प्रभावी करने के लिए लागत प्रभावी साधन प्रदान करते हैं, जिससे सेना की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
- हाल के संघर्षों में, विशेष रूप से यूक्रेन में, FPV ड्रोन की प्रमुखता ने महत्त्वपूर्ण और महंगी सैन्य संपत्तियों को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी करके युद्ध के मैदान की गतिशीलता को बदलने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

Source: TH

भारत का कॉफ़ी उत्पादन

समाचार में

- मार्च 2025 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए भारत का कॉफी उत्पादन 3.52 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जिसमें बेरी सेटिंग में सहायता करने वाली पर्याप्त फूलों की वर्षा के कारण अधिक उपज का संभावना है।

कॉफ़ी उत्पादन

- भारत की कॉफी यात्रा 1600 के दशक में शुरू हुई जब पवित्र संत बाबा बुदन कर्नाटक के बाबा बुदन गिरि में सात मोचा बीज लेकर आए, जिससे अनजाने में ही भारत एक प्रमुख कॉफी उत्पादक के रूप में उभरने लगा।
- सदियों से, कॉफी की खेती एक संपन्न उद्योग के रूप में विकसित हुई है और आज, भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है।

- वित्त वर्ष 2023-24 में, कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो 2020-21 में 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है।

- भारत में कॉफी मुख्य रूप से जैव विविधता वाले पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद केरल एवं तमिलनाडु हैं।
- भारत में कॉफी की खपत बढ़ रही है, जो कैफे संस्कृति, अधिक डिस्पोजेबल आय और चाय की तुलना में कॉफी की ओर झुकाव के कारण है।
  - घरेलू खपत 2012 में 84,000 टन से बढ़कर 2023 में 91,000 टन हो गई।

भारत का कॉफ़ी निर्यात

- वैश्विक माँग में वृद्धि के कारण इनमें उछाल आया है, जनवरी 2025 में 9,300 टन से अधिक निर्यात किया गया।
- शीर्ष खरीदारों में इटली, बेल्जियम और रूस शामिल हैं।
  - भारत के अधिकांश कॉफ़ी उत्पादन (लगभग तीन-चौथाई) में अरेबिका और रोबस्टा बीन्स शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है।
- रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की माँग भी बढ़ रही है।
- कॉफ़ी बोर्ड की एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना (ICDP) पैदावार में सुधार, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में खेती का विस्तार और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

Source :TH

चालू खाता घाटा(CAD)

समाचार में

- भारत का चालू खाता घाटा (CAD) वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 11.5 बिलियन डॉलर हो गया, जो विगत वर्ष की समान तिमाही में 10.4 बिलियन डॉलर था।
  - इसका मुख्य कारण व्यापारिक व्यापार घाटे में वृद्धि है। हालाँकि, CAD GDP के 1.1% पर स्थिर रहा।

चालू खाता घाटा (CAD)

- यह तब होता है जब किसी देश का माल और सेवाओं का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
  - चालू खाता, पूंजी खाते के साथ-साथ देश के भुगतान संतुलन (BOP) का भाग होता है।
- चालू खाता घाटे को कम करने के लिए, कोई देश निर्यात बढ़ा सकता है, टैरिफ या कोटा के माध्यम से आयात कम कर सकता है, या घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू कर सकता है।
  - मुद्रा अवमूल्यन भी निर्यात को सस्ता बनाकर सहायता कर सकता है।

Source :TH

कपास के उत्पादन में भारत पिछड़ गया

समाचार में

- भारत, जो कभी विश्व का अग्रणी कपास उत्पादक और प्रमुख निर्यातक था, अब कपास का शुद्ध आयातक बन गया है।
  - यह बदलाव नीतिगत निष्क्रियता, नियामक अक्षमताओं और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में धीमी गति से निहित एक गहरे संकट को उजागर करता है।

कपास उत्पादन वृद्धि

- भारत का कपास उत्पादन 2002-03 में 13.6 मिलियन गांठ से लगभग तीन गुना बढ़कर 2013-14 में 39.8 मिलियन गांठ हो गया।
- 2015-16 में भारत विश्व का शीर्ष कपास उत्पादक और 2011-12 तक एक प्रमुख निर्यातक बन गया।

योगदान देने वाले कारक

- उत्पादन में वृद्धि तकनीकी प्रगति के कारण हुई, जैसे कि एच-4 और वरलक्ष्मी जैसे कपास संकरों का विकास।
- 2002-03 में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) Bt कपास की शुरूआत ने उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की।

- 2013-14 तक Bt कपास ने भारत के कपास क्षेत्र के 95% हिस्से को कवर किया, जिससे लिंट की उत्पादकता बढ़कर 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।

गिरावट

- 2014 के बाद, कपास उत्पादन में गिरावट आई है, 2024-25 के लिए अनुमान 29.5 मिलियन गांठ है, जो 2008-09 के बाद सबसे कम है।
- उत्पादकता 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो गई है।
- यह गिरावट UPA सरकार के अंतर्गत GM बीटी बैंगन पर रोक और GM फसलों के बढ़ते विरोध के साथ शुरू हुई।
- सरकार ने GM फसलों के परीक्षणों को रोककर और GM फसलों को "खतरनाक पदार्थ" मानकर इसे और आगे बढ़ाया।
- नियामक बाधाओं ने हाइब्रिड सरसों और बेहतर कपास किस्मों जैसी नई GM फसलों के लिए मंजूरी में देरी की है।
  - GM फसल प्रौद्योगिकी प्रगति में रुकावट के कारण गुलाबी बॉलवर्म संक्रमण जैसे मुद्दे बदतर हो गए हैं।

वैश्विक निहितार्थ

- भारत के शुद्ध आयातक बनने से अमेरिका और ब्राजील जैसे शीर्ष कपास निर्यातकों को लाभ होगा।
- भारत पर कपास आयात पर टैरिफ हटाने का दबाव बढ़ सकता है, जैसा कि 2021 में GM सोयाबीन खली के आयात के मामले में देखा गया है।

क्या आप जानते हैं?

- केंद्रीय बजट 2025-26 में स्थिर कपास उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान करने और विशेष रूप से अतिरिक्त लंबे रेशे वाली किस्मों की कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय कपास मिशन की घोषणा की गई है।

Source :IE

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के अंतर्गत बिहार की कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी।

परिचय

- **केंद्रीय सहायता:** मार्च 2029 तक परियोजना पूरी करने के लिए 3,652.56 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य:** बिहार में महानंदा बेसिन तक सिंचाई का विस्तार करने के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल को मोड़ना।
- **परियोजना विवरण:**
  - पूर्वी कोसी मुख्य नहर (EKMC) का पुनर्निर्माण।
  - EKMC को मेची नदी तक विस्तारित करना।
  - बिहार के कोसी और मेची नदियों को जोड़ना।
- **प्रभाव:**
  - खरीफ मौसम में अतिरिक्त 2,10,516 हेक्टेयर सिंचाई।
  - अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में सिंचाई कवरेज।
  - कोसी के 2,050 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिशेष जल का उपयोग।
  - EKMC की वर्तमान कमान के 1.57 लाख हेक्टेयर में कमी की बहाली।
- **PMKSY अवलोकन:**
  - सिंचाई पहुंच और जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए 2015-16 में शुरू किया गया।
  - PMKSY (2021-26) का परिव्यय रु। 93,068.56 करोड़।
  - AIBP घटक प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रित है।
  - **प्रगति:** PMKSY-AIBP के तहत 63 परियोजनाएँ पूरी की गईं, जिससे 2016 से 26.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई।

Source: PIB

कवक की 1,000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में: IUCN

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार कवक की 1,000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हैं।
  - वनों की कटाई, कृषि विस्तार और शहरी विकास के कारण विश्व भर में इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट आ रही है।

कवक के बारे में

- **वैज्ञानिक वर्गीकरण:**
  - **किंगडम:** कवक (प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा से अलग)
  - **कोशिका प्रकार:** यूकेरियोटिक (कोशिकाओं में झिल्ली-बद्ध अंग और नाभिक होते हैं)
  - **कोशिका भित्ति:** चिटिन (सेल्यूलोज नहीं) से बनी होती है
  - **पोषण:** विषमपोषी (मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी)
  - **उदाहरण:** मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, पेनिसिलियम
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **प्रजनन:** अलैंगिक (बीजाणु, नवोदित) और यौन दोनों
  - **पोषण:** अवशोषक विषमपोषी (भोजन को बाहर से पचाते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं)
  - **निवास:** नम, गर्म वातावरण जैसे मिट्टी, सड़ने वाला पदार्थ।
- **सहजीवी संबंध:**
  - **लाइकेन:** कवक + शैवाल/सायनोबैक्टीरिया (पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजातियाँ)
  - **माइकोराइजा:** कवक + पौधों की जड़ें (जैसे, ग्लोमस प्रजातियाँ पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करती हैं)।
- **आर्थिक और पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - **अपघटक:** पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण
  - **औषधीय:** पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का स्रोत
  - **खाद्य उद्योग:** बेकिंग और अल्कोहल किण्वन में खमीर;
  - **खाद्य मशरूम जैव नियंत्रण एजेंट:** कृषि में उपयोग किया जाने वाला ट्राइकोडर्मा

Source: DTE

■■■■